

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठारीय अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

दस्तावेज संख्या: 115/2022

प्रार्थीगण :-

1. जालाराम दत्तक पुत्र हरा
जाति जाट निवासी मौखावा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. नेनू पत्नी अमराराम
2. रेखाराम पुत्र अमराराम
3. लाखाराम पुत्र अमराराम
4. पदमोदेवी पत्नी अरजनराम
5. बाबूलाल पुत्र अरजनराम
6. राणाराम पुत्र कानाराम
जाति जाट निवासी मौखावा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
7. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956


उपस्थित

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण - एकतरफा

-:: आदेश ::-

दिनांक :- 23.08.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।


हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत: 2075-2076 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा मौखावा के खेत खसरा नम्बर 1147/211 रकबा 2. 5010 हैक्टियर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे  लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण


उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी

विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मौखावा के खेत खसरा 1147/211 रकबा 2.5010 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23/8/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी